

**JAY BHARAT MARUTI LIMITED**

*Corporate Office :*  
Plot No. 9, Institutional Area,  
Sector 44, Gurgaon-122 003 (Hr.)  
T : +91 124 4674500, 4674550  
F : +91 124 4674599  
W : www.jbmgroup.com



**Ref. No: JBML/SE/Q2/19-20/86**

**Date: 8<sup>th</sup> July, 2019**

**BSE Limited  
Phiroz Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street,  
Mumbai – 400001**

**The National Stock Exchange of India Ltd.  
Exchange Plaza, 5th Floor,  
Plot No. C/1, G- Block,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)  
Mumbai – 400051.**

**Scrip Code: 520066**

**NSE SYMBOL: JAYBARMARU**

**Sub: Submission of Newspapers Advertisements under Regulation 47 of the SEBI  
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**


Dear Sir,

Pursuant to the provision of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we are enclosing herewith, copies of the newspaper advertisements published in Jansatta (Hindi) in Delhi edition and Financial Express (English) in Delhi edition on 7<sup>th</sup> July, 2019 for giving intimation of the meeting of Board of Directors of the Company which is scheduled to be held on Tuesday, 16<sup>th</sup> Day of July, 2019 to consider and approve the un-audited Financial results for the 1<sup>st</sup> quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2019 and to consider proposal for issuance of securities in terms of Companies Act, 2013, subject to the shareholders' approval.

You are requested to please take the same on record.

Thanking you,

Yours truly,  
**For Jay Bharat Maruti Limited**

  
**(Ravi Arora)**  
Company Secretary

Encl.: As above

**Works :**

**Plant I :** Plot No. 5, MSIL, Joint Venture Complex, Gurgaon-122 015 (Haryana) T: +91 124 4887200, F: +91 124 4887300  
**Plant II :** Village & Post - Mohammadpur Narsinghpur, Sector 36, Gurgaon - 122 001 (Haryana) T: +91 124 4935300, F: +91 124 4935332  
**Plant III :** Plot No. 15-16 & 21-22, Sector 3A, Maruti Supplier Park, IMT Manesar, Gurgaon -122 051 (Haryana) T: +91 9999190423, 9899079952  
**Plant IV :** Plot No. 322, Sector - 3, Phase-II, GWC, Bawal - 123 501 (Haryana) T +91 8221004201, 8221004203  
**Regd. Office :** 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehra Place, New Delhi - 110 019 T : +91 11 26427104-06. F : +91 11 26427100  
**CIN :** L29130DL1987PLC027342





Sunday Jansatta = 7-7-2019  
Delhi.

राष्ट्र

# आरटीआइ कार्यकर्ता की हत्या में पूर्व सांसद सोलंकी, छह अन्य दोषी करार

अमदाबाद, 6 जुलाई (भाषा)।

आरटीआइ कार्यकर्ता अमित जेटवा की 2010 में हुई हत्या के मामले में यहां सीबीआइ की एक विशेष अदालत ने भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी और छह अन्य को शनिवार को दोषी करार दिया। जेटवा ने गिर वन रेंज में अवैध खनन गतिविधियों को सामने लाने का प्रयास किया था। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश के.एस. दवे मामले में 11 जुलाई को सजा सुनाएंगे। अपराध शाखा द्वारा सोलंकी को क्लीनचिट दिए जाने के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपा दिया था। 2009 से 2014 तक गुजरात के जूनागढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुके सोलंकी को उनके चचेरे भाई शिव सोलंकी और पांच अन्य के साथ भारतीय दंड संहिता के

तहत हत्या और आपराधिक साजिश रचने के आरोपों का दोषी माना।

गुजरात हाई कोर्ट के बाहर 20 जुलाई 2010 को आरटीआइ कार्यकर्ता अमित जेटवा की हत्या कर दी गई थी

एक जनहित याचिका भी दायर की थी। जेटवा के पिता भीखाभाई जेटवा के ही कोर्ट का रुख करने के बाद अदालत ने मामले की नए सिरे से जांच का आदेश दिया था। उन्होंने हाई कोर्ट से कहा था कि आरोपियों द्वारा दबाव डालने और भयावह करने के चलते करीब 105 गवाह मुकर गए।

# बिहार में अपराध अं

भागलपुर, 6 जुलाई (जनसत्ता)।

बिहार के पुलिस महानिदेशक गुणेश्वर पांडे अपराधग्रस्त जिलों का अपराध अंकेक्षण (क्राइम ऑडिट) कराने की पहल की है। इसके लिए पांच पंद्रह पुलिस अधिकारियों की सशक्त टीम बनाई गई है। जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक, आइजी डीआइजी, एसपी और डीएसपी स्तर के अनुभवी पुलिस अधिकारी शामिल किए गए हैं। इस दल का नाम पुलिस महानिदेशक गतिशील दस्ता दिया गया है। भागलपुर के एसएसपी आशीष भारती के मुताबिक बिहार में यह पहली दफा और अनूठा प्रयोग साबित होगा।

एसएसपी के जारी प्रेस नोट में इस बात का जिक्र नहीं है कि यह दस्ता कब से काम करेगा। विज्ञप्ति में मुताबिक यह दस्ता जिले के विभिन्न अनुमंडलों व दौरा कर अपराध और शराब तस्करी की रोकथाम किए उपाय की जमीनी हकीकत की जानकारी ले और कमी को पूरा करने के लिए थाना स्तर से लेकर चौकीदार और आम नागरिकों से संवाद भी करेगा। इनका गांवी या अनुमंडल स्तर का दौरा तीन दिनों में होगा। चौथे दिन ये जिला मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ संवाद करेगा और पूरी जानकारी

# कर्नाटक : बलात्कार के एक और मामले में आरोपी गिरफ्तार

मंगलुरु, 6 जुलाई (भाषा)।

एक दलित छात्रा के साथ उसके कॉलेज के साथियों द्वारा सामूहिक बलात्कार की घटना से लोग उबरे भी नहीं थे कि दक्षिण कन्नड़ जिले में इसी समुदाय की एक नाबालिग छात्रा के साथ एक मजदूर द्वारा कथित बलात्कार की घटना सामने आई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी की पहचान पुत्रूर के मदनमूल इलाके के निवासी निर्माण मजदूर अजित के रूप में की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को जब पीड़िता अपने स्कूल जा रही थी तब आरोपी उसे मिला और उसने लड़की से कहा कि उसकी मां पास के एक

स्थान पर बेहोश हो गई है। इसके बाद वह उसे सुनसान जगह पर ले गया और कथित रूप से उसके साथ बलात्कार किया। उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसे घसीटा, जिससे वह बेहोश हो गई। होश में आने के बाद वह घर लौटी और अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई और आरोपी की पहचान की। सूत्रों ने बताया कि आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है। उदक्षिण कन्नड़ जिले की पुलिस अधीक्षक बीएम लक्ष्मी प्रसाद अस्पताल में किशोरी से मिलने पहुंचीं। वहीं, कॉलेज की एक दलित छात्रा के साथ बलात्कार और उसकी वीडियो बनाने के मामले में पांच छात्रों को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आठ अन्य आरोपियों को भी वीडियो प्रचारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

**JBM Group**  
Our milestones are touchstones

**जय भारत मारुति लिमिटेड**  
CIN: L29130DL1987PLC027342  
पंजी. कार्यालय: 601 इंदिरा पार्क,  
89, नेहरू रोड, नई दिल्ली-110019  
फोन: 011-26427104; फैक्स: 011-26427100  
E-mail: jbm.investor@jbmgroup.com  
Website: www.jbmgroup.com

**सूचना**

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सुरीयुक्त वारिअन्ट और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार नए एवढुद्धा सूचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक 16 जुलाई 2019 को गुरुग्राम (हरियाणा) में आयोजित की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ कंपनी को 30 जून, 2019 को समाप्त प्रथम तिमाही के लिये अंकेक्षणित वित्तीय परिणामों पर विचार करने और उनका अनुमोदन और शेयरधारकों के अनुमोदन के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 के संदर्भ में प्रतिभूतियों को जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

उक्त बैठक का संप्रोक्त निरूपण कंपनी की वेबसाइट [www.jbmgroup.com](http://www.jbmgroup.com) और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) से भी प्राप्त की जा सकती है।

इसके अलावा, इन्साइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिये कंपनी की आचार संहिता के अनुरूप कंपनी के शेयरों के कारोबार के लिये ट्रेडिंग विंडो कंपनी के निदेशकों/अधिकारियों/पदनामित कर्मचारियों के लिये 1 जुलाई, 2019 से 16 जुलाई, 2019 को परिणाम सार्वजनिक किये जाने के उपरांत 48 घण्टे समाप्त होने तक के लिये बंद रहेगी।

जय भारत मारुति लिमिटेड  
हस्ताक्षर /  
(रवि अरोड़ा)  
कंपनी सचिव

<b>HDFC BANK</b> We understand your world		प्रधान कार्यालय: एचडीएफसी बैंक इमारत, सेनापति बाग, लोअर प्लेन (बिल्डिंग) मुंबई-400013, अंचल कार्यालय: एचडीएफसी बैंक लि., स्थिति प्रचालन विभाग, 5वां तल, अमृत क्लैटिंग टावर, फ्लॉट नं. 1, जे-ब्लॉक, राजीव गांधी मार्ग दिल्ली-27		<b>कक्षा सूचना</b>
<p>जैसा कि, वित्तीय परिस्मर्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्धन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) ("अधिनियम") के अंतर्गत एचडीएफसी बैंक लि. के अधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्धन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के विधायक के रूप में के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर श्रेणियों/वर्ग-श्रेणियों/वर्ग-श्रेणियों/वर्ग-श्रेणियों ("वर्ग") के बाद सामूहिक रूप से "श्रेणियों" के रूप में विहित की सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर मांग सूचना में वर्णित राशि सार्वजनिक रूप से निवेश किया था।</p> <p>श्रेणियों के रूप में मांग सूचना के निष्पत्ति रहे, अतः एवढुद्धा श्रेणियों, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी बैंक लि. की ओर से अधोहस्ताक्षरी ने उक्त निष्पत्ति के निष्पत्ति 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त मांग सूचना को प्रतिभूति हित ("प्रतिभूति परिसम्पत्तियों") का कक्षा कर लिया है।</p> <p>श्रेणियों का प्रथम प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विभाजित करने के लिए उपलब्ध संपत्त के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। जिसमें विफल होने पर निष्पत्तियों के निष्पत्ति 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत प्रतिभूति क्रेडिटर्स द्वारा मांग वर्णित प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विभाजित कर दी जायेगी।</p> <p>विशेष रूप से श्रेणियों तथा आम जनता को एवढुद्धा सारक किया जाता है कि ये यहां नीचे वर्णित प्रतिभूति परिसम्पत्तियों का व्यवसाय न करे तथा इन प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर आने के ब्याज, लागत, चार्ज के साथ बकाया राशि के लिये एचडीएफसी बैंक लि. के चार्ज के अंतर्गत होगा।</p>				
शाखा:	प्रतिभूति परिसम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना तिथि/कक्षा की तिथि/बकाया राशि		
श्रेणियों/वर्ग/वर्ग-श्रेणियों का नाम	सर्वज्व क्रेडिट, गैर-तकसिली क्रेडिट, प्रकृत, क्रेडिट, मांग सूचना तिथि: 30 जून, 2019			

पुलिस मा...  
ने पुलिस...

प्रपत्र सं...  
पौष्क कम्पनी...  
के लिये सञ्चालन...

श्रेणी निदेशक...  
कम्पनी अधिनियम...  
2013 की धारा...  
निष्पत्तियों, 2014

न. मोदी हाईटेक...  
पौष्क कम्पनी...  
प्लेस, नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली  
तिथि: 06.07.2019